कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर)
जलेब चौक,जयपुर।
ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in फोन नम्बर 0141–2612593
Website: http:// home.rajasthan. gov.in/homeguards

क्रमांकः–प.37(2187)गृरमु/पीएसएएल/2020/13651-53 दिनाकः– 26 NOV 2020

कार्यालय आदेश

मैसर्स : एक्स सर्विसमेन वैलफेयर सोसायटी, जोधपुर, लाईसेन्स संख्या 753/CDHG HQ (S-Cell)/2014 दिनांक 19.02.2014 वैद्यता 18.02.2024 (निजी सुरक्षा अभिकरण) द्वारा पूर्व लाईसेन्स अवधि (2014 से 2019) में प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 09 व 10 का उल्लघंन करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 18990 दिनांक 13.08.2019 के द्वारा कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा नोटिस का जवाब 28.08.2020 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें अनुज्ञाधारक द्वारा बताया गया कि भविष्य में सभी प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी। अभिकरण द्वारा नियमों की पालना की जा रही है अथवा नहीं इसका निरीक्षण करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5431 दिनांक 23.04.2020 द्वारा समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर को पत्र जारी किया गया। समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अभिकरण द्वारा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 09 व 10 एवं राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियम 06,07, 08 व 09, की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। अतः इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 9257–60 दिनांक 03.09.2020 के द्वारा उक्त लाईसेन्स को एक माह के लिये निलम्बित किया जाकर कार्यालय पत्र क्रमांक 9261–62 दिनांक 03.09.2020 द्वारा अनुज्ञाधारक श्री देवपाल सिंह राठौड़ को कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक 23.09.2020 को इस कार्यालय में प्रस्तुत कर समस्त आक्षेपो की पूर्ति करने हेतु सूचित किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा समस्त आक्षेपो की पूर्ति कर ली गई है अथवा नही कि पुष्टि हो समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर को कार्यालय पत्र संख्या 11060 दिनांक 12.10.2020 द्वारा पुनः निरीक्षण हेतु पत्र जारी करते हुए उपरोक्त निजी सुरक्षा एजेन्सी का लाइसेन्स, लाइसेन्स निलम्बन के प्रश्न अवधरित नही होने तक आगामी आदेश तक निलम्बित किया गया। समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर द्वारा प्ररतुत निरीक्षण रिपोर्ट अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त अभिकरण द्वारा निरीक्षण के समय पाई गई अनियमितताओं को दूर कर दिया गया है व वर्तमान में प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के प्रावधानों व राजरथान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियमों की पालना की जा रही है। अतः उक्त अभिकरण के लाईसेन्स 753/CDHG HQ (S-Cell)/2014 दिनांक 19.02.2014 वैद्यता 18.02.2024 (निजी सुरक्षा अभिकरण) को पुनः इस हिदायत के साथ बहाल किया जाता है कि भविष्य में प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के प्रावधानों व राजरथान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियमों की पूर्णतः पालना करेगें।

(अमृत कलश, IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा,)
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. श्री देवपाल सिंह राठौड़ पुत्र स्व. मेजर मोड सिंह राठौड़ (से.नि.), पता : पुलिस ऑफिसर मैस के सामने, रातानाडा, जोधपुर, कार्यालय पता : महाराजा गज सिंह कॉलोनी, अजमेर रोड़, जोधपुर।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अद्यतन (अपलोड) करने बाबत।

नियंत्रक प्राधिकारी
(अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा,)
राजरथान जयपुर